फर्द अहकाम
(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान:– विजय कुमार बाना बनाम लिछमण आदि

धारा :– 88,53,आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या:– 247 / 2019

	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
	वादी की ओर से श्री रामनिवास जाखड़ द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट हो चुकि है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 5.8.2019 को पेश हो।	
5-8-19	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की ओर से श्री श्योप्रकाश वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली किया गया उभयपक्ष स्वयं स्वयं उपस्थित राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राज पैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा होने से तनकीयात नहीं बनाई जाकर बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया। डिक्री जारी की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो (कपिल यादव)	Vijay विजय सुमन (रामनिवास जाखड़) (श्योप्रकाश)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :- 247/2019

1 विजय कुमार बाना पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 सुमन पत्नी श्री अशोक कुमार जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 विमलादेवी पत्नी श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़। -- वादीगण

-:: बनाम ::-

1 लिछमणराम पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। -- प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री रामनिवास जाखड़ अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री श्योप्रकाश अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1
3. राज पैराकार — प्रतिवादी संख्या 2

-:: निर्णय ::- दिनांक :- 05.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 15 एस.टी.जी. (बी) जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 38/40 पत्थर नमबर 76/306 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 24, 25 पत्थर नम्बर 77/306 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 21 तादादी 0.759 हैक्टर नाली द्वितीय में से 1/3 हिससा , इसी चक के खाता संख्या 40/42 पत्थर नम्बर 77/305 मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16 ता 20, 25 तादादी 3.036 हैक्टर नाली द्वितीय में से 1.518 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 41/43 पत्थर नम्बर 77/306 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 22, 23 सालम तादादी 0.506 हैक्टर नाली द्वितीय व चक नम्बर 41 एस.एस.डब्ल्यू. जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 खाता 126/123 पत्थर नम्बर 76/307 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 3, 4, 5, 6 पत्थर नम्बर 77/307 मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 1, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 25 पत्थर नम्बर 77/308 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 4, 5, 6, 7/1 में 0.127, 14/2 में 0.126, 15, 16 तादादी 4.807 हैक्टर नहरी मय गैर मुमुकिन खाला रास्ता ढ़ाणी सहित दर्ज रिकार्ड खातेदारी है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आज से काफी अर्सा पूर्व आपसी बंटवारा कर लिया व इसी बंटवारानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण को बंटवारे में निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई :-

हिस्सा वादी संख्या - 01 विजय कुमार बाना :- चक नम्बर 41 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 126/123 पत्थर नम्बर 77/307 मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 25 पत्थर नम्बर 77/308 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 4, 5, 6 सालम, 7/1 में 0.127, 14/2 में 0.126, 15, 16 सालम तादादी 1.771 हैक्टर नाली द्वितीय मय गैर मुमकीन ढाणी रास्ता सहित।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

लगातार 2

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

<u>हिस्सा वादीया संख्या - 02 सुमन :-</u> चक नम्बर 41 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 126/123 पत्थर नम्बर 77/307 मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 1, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 24 तादादी 2.277 हैक्टर नाली द्वितीय रास्ता सहित ।

<u>हिस्सा वादीया संख्या - 03 बिमला देवी :-</u> चक नम्बर 41 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 126/123 पत्थर नम्बर 76/307 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 3, 4, 5, 6 तादादी 1.012 हैक्टर

<u>हिस्सा प्रतिवादी संख्या - 1 लक्ष्मणराम :-</u> चक नम्बर 15 एस.टी.जी.(बी) जमावन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 38/40 पत्थर नम्बर 76/306 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 24, 25, पत्थर नम्बर 77/306 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 21 तादादी 0.759 हैक्टर नाली द्वितीय में से 1/3 हिस्सा, इसी चक के खाता 40/42 पत्थर नम्बर 77/305 मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16 ता 20, 25 तादादी 3.036 हैक्टर नाली द्वितीय में से 1.518 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 41/43 पत्थर नम्बर 77/306 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 22, 23 सालम तादादी 0.506 हैक्टर नाली द्वितीय

इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या - 1 को बंटवारा में उपरोक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई भुमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

वादीगण ने अपने हिस्सा में आयी कृषि भूमि को अच्छे उवर्रक डालकर उपजाउ बनाया है वादीगण बंटवारा के समय से उक्त भूमि काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जब वादीगण ने अपने हिस्सा में आई भूमि बंटवारा व कब्जा अनुसार नाम लगवाने के लिए प्रतिवादीगण संख्या 1 को कहा तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे और आखिर दिनांक 20.06.2019 को इन्कार हो गये यही वाद कारण है।

वादीगण को पैरा संख्या 04 के अनुसार वाद कारण हासिल है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्याया शुल्क पर प्रस्तुत है। उक्तानुसार वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

1. वाद पत्र के पैरा संख्या 3 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वादीगण के नाम से रकम राज अलग कायम किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को दिलवाना उचित समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 05.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री रामनिवास जाखड़ अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री श्योप्रकाश अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा आपस में भाई चारा बनाये रखनें के लिये उक्त अनवान के प्रकरण में पंच पंचायती में बैठकर व लोक अदालम की भावना से राजीनामा कर लिया है।

प्रतिवादी के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 15 एस.टी.जी. (बी) जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 38/40 पत्थर नमबर 76/306 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 24, 25 पत्थर नम्बर 77/306 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 21 तादादी 0.759 हैक्टर नाली

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

लगातार 3

Scanned by CamScanner

द्वितीय में से 1/3 हिससा , इसी चक के खाता संख्या 40/42 पत्थर नम्बर 77/305 मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16 ता 20, 25 तादादी 3.036 हैक्टर नाली द्वितीय में से 1.518 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 41/43 पत्थर नम्बर 77/306 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 22, 23 सालम तादादी 0.506 हैक्टर नाली द्वितीय व चक नम्बर 41 एस.एस.डब्ल्यू. जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 खाता 126/123 पत्थर नम्बर 76/307 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 3, 4, 5, 6 पत्थर नम्बर 77/307 मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 1, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 25 पत्थर नम्बर 77/308 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 4, 5, 6, 7/1 में 0.127, 14/2 में 0.126, 15, 16 तादादी 4.807 हैक्टर नहरी मय गैर मुमुकिन खाला रास्ता ढ़ाणी सहित दर्ज रिकार्ड खातेदारी है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आज से काफी अर्सा पूर्व आपसी बंटवारा कर लिया व इसी बंटवारानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण को बंटवारे में निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई :–

<u>हिस्सा वादी संख्या – 01 विजय कुमार बाना :–</u> चक नम्बर 41 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 126/123 पत्थर नम्बर 77/307 मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 25 पत्थर नम्बर 77/308 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 4, 5, 6 सालम, 7/1 में 0.127, 14/2 में 0.126, 15, 16 सालम तादादी 1.771 हैक्टर नाली द्वितीय मय गैर मुमकीन ढाणी रास्ता सहित।

<u>हिस्सा वादीया संख्या – 02 सुमन :–</u> चक नम्बर 41 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 126/123 पत्थर नम्बर 77/307 मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 1, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 24 तादादी 2.277 हैक्टर नाली द्वितीय रास्ता सहित ।

<u>हिस्सा वादीया संख्या – 03 बिमला देवी :–</u> चक नम्बर 41 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 126/123 पत्थर नम्बर 76/307 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 3, 4, 5, 6 तादादी 1.012 हैक्टर

<u>हिस्सा प्रतिवादी संख्या – 1 लक्ष्मणराम :–</u> चक नम्बर 15 एस.टी.जी.(बी) जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 38/40 पत्थर नम्बर 76/306 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 24, 25, पत्थर नम्बर 77/306 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 21 तादादी 0.759 हैक्टर नाली द्वितीय में से 1/3 हिस्सा, इसी चक के खाता 40/42 पत्थर नम्बर 77/305 मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16 ता 20, 25 तादादी 3.036 हैक्टर नाली द्वितीय में से 1.518 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 41/43 पत्थर नम्बर 77/306 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 22, 23 सालम तादादी 0.506 हैक्टर नाली द्वितीय

इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक नें राजीनामा अनुसार उपरोक्त प्रकारसे बंटवारा कर उक्त कृषि भूमि पर एक्तानुसार काबिज हो चुके है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 राजीनामा अनुसार अपना दावा डिक्री करवाना चाहते है। व राजीनामा अनुसार अपनें हिस्से में आई भूमि का खाता व रकम राज उपरोक्त राजीनामा अनुसार अलग करवाना चाहते है। व इसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण के नाम से इन्तकाल दर्ज किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

लगातार 4

Scanned by CamScanner

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

आर.आर.डी. 2008 पेज 481 की नजीर पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 अपनें पति के जीवित रहते हुए पुत्रों द्वारा पैतृक सम्पत्ति के बराबर विभाजन की मांग करनें पर उसे भी पुत्रों के बराबर हिस्से की मांग की है, जो प्रिंसिपल आफ हिन्दू ला के पैरा 315 के विवेचन एवम् गुरूपत खण्डापा बनाम हीराबाई में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर अपना हिस्सा प्राप्त करनें की अधिकारिणी है तथा वह अपनें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में पति व पुत्रों के बराबर के हिस्से की घोषणा करवानें की अधिकारिणी है। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि

प्रतिवादी संख्या 1 लिछमण राम के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 15 एस.टी. जी. (बी) जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 38/40 की 0.759 हैक्टर नाली द्वितीय में से 1/3 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 40/42 की 3.036 हैक्टर नाली द्वितीय में से 1.518 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 41/43 की 0.506 हैक्टर नाली द्वितीय व चक नम्बर 41 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 126/123 की 4.807 हैक्टर नहरी मय गैर मुमुकिन खाला रास्ता की भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होनें के कारण वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र व वादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी होनें के कारण उनका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वादी संख्या 1 व 3 की

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

लगातार 5

Scanned by CamScanner

हद तक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। वादी संख्या 2 द्वारा अपने ससुर की पैतृक सम्पत्ति में से भूमि की मांग की गई है, पुत्रवधु हमवारिस (Coparcener) की श्रेणी में नहीं आनें के कारण अपनें ससुर की पैतृक सम्पत्ति में से भूमि प्राप्त करनें की विधिक अधिकारिणी नही होनें से वादी संख्या 2 की हद तक वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दरस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा को वादी संख्या 1 विजय कुमार व वादी संख्या 3 बिमलादेवी की हद तक स्वीकार किया जाकर तथा वादी संख्या 2 सुमन हमवारिस (Coparcener) की श्रेणी में नहीं आनें के कारण अपनें ससुर की पैतृक सम्पत्ति में से भूमि प्राप्त करनें की विधिक अधिकारिणी नही होनें से वादी संख्या 2 की हद तक खारिज किया जाकर वादी संख्या 1 व 3 की हद तक वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादी संख्या 1 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि में से वादी संख्या 1 को 1.771 हैक्टर व वादी संख्या 3 को 1.012 हैक्टर भूमि का खातेदार कश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी सख्ंया 1 विजय कुमार बाना पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
41 एस.एस. डब्ल्यू.	126/123	77/307 (3)	25/.253	0.253 हैक्टर
		77/308 (4)	4/.253, 5/.253, 6/.253 7/1/.127, 14/2/.126, 15/.253, 16/.253	1.518 हैक्टर
				कुल भूमि :–1.771 हैक्टर

2. वादी सख्ंया 3 विमलादेवी पत्नी श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
41 एस.एस. डब्ल्यू.	126/123	76/307 (2)	3/.253, 4/.253, 5/.253, 6/.253,	1.012 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 247/2019

1 विजय कुमार बाना पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 सुमन पत्नी श्री अशोक कुमार जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 विमलादेवी पत्नी श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — वादीगण

–:: बनाम ::–

1 लिछमणराम पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। — — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 05.08.2019

वादीगण की और से श्री रामनिवास जाखड़ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री श्योपकाश अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 05.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा को वादी संख्या 1 विजय कुमार व वादी संख्या 3 बिमलादेवी की हद तक स्वीकार किया जाकर तथा वादी संख्या 2 सुमन हमवारिस (Coparcener) की श्रेणी में नहीं आनें के कारण अपनें ससुर की पैतृक सम्पत्ति में से भूमि प्राप्त करनें की विधिक अधिकारिणी नही होनें से वादी संख्या 2 की हद तक खारिज किया जाकर वादी संख्या 1 व 3 की हद तक वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादी संख्या 1 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि में से वादी संख्या 1 को 1.771 हैक्टर व वादी संख्या 3 को 1.012 हैक्टर भूमि का खातेदार कश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी सख्या 1 विजय कुमार बाना पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
41 एस.एस. डब्ल्यू.	126/123	77/307 (3)	25/.253	0.253 हैक्टर
		77/308 (4)	4/.253, 5/.253, 6/.253 7/1/.127, 14/2/.126, 15/.253, 16/.253	1.518 हैक्टर
				कुल भूमि :–1.771 हैक्टर

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

लगातार 2

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 247/2019 अनवान विजय कुमार बाना बनाम लिछमणराम)

2. वादी सख्ंया 3 विमलादेवी पत्नी श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
41 एस.एस. डब्ल्यू.	126/123	76/307 (2)	3/.253, 4/.253, 5/.253, 6/.253,	1.012 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 11:49:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: